



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 19.03.2025

थाना रमाला पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 03 शातिर चोर/गौकशों को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 19.03.2025 को समय करीब 09.10 बजे देखरेख शान्ति



व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस में रवाना होकर गस्त करते हुए रमाला से ककडीपुर नहर पटरी पर पहुंचे तो सूचना मिली कि जिन लोगों ने ग्राम असारा से बैल चोरी किया था वो लोग रमाला से ककडीपुर को जाने वाली नहर पटरी से नीचे पेड़ों के पास कोई घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना रमाला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा इन बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे पुलिस पार्टी बाल-बाल बची। पुलिस पार्टी द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-पप्पु पुत्र वहीद निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-वसीम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-बिजेन्द्र पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 60/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/4/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 मंयक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 233 धीरेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

5-का0 907 धर्मेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक-19.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 69/316(2)/76/ 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 69/316(2)/76/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज पुत्र रामफल निवासी ग्राम गुराना थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 19.03.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/25 धारा
191(2)/191(3)/131/333/ 115(2)/352/351/110 बीएनएस में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.03.2025 को थाना बड़ौत पर वादी अनिल पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.विकास पुत्र महेन्द्र, 2.अमर पुत्र बबलू, 3.बबलू पुत्र महेन्द्र, 4.अन्जूल पुत्र श्रीषपाल, 5.लोकेन्द्र पुत्र रिशपाल



निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डें व धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुसकर उसके व उसके परिजनों के ऊपर हमला कर मारपीट की तथा उनको गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 148/25 धारा 191(2)/191(3)/131/333/115(2)/352/351 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने

के मु0अ0सं0 148/25 धारा 191(2)/191(3)/131/333/115(2)/352/351 बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

बबलू उर्फ अमरेश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 437 बलजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 433 गौरव थाना बडौत जनपद बागपत ।



दिनांक 19.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5) बी.एन.एस. में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.25 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह हाल प्रबंधक सीएमएस मेरठ निवासी तेजबिहार रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद



मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह

निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- राजीव पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2- शरद पुत्र देशपाल निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 629 भारत भाटी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 19.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना

बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

आशीष पुत्र यशपाल सिंह निवासी सुभाष नगर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना बडौत ।
- 3-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बडौत ।
- 4-का0 686 संजय कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-19.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 63/2025 धारा 115(2)/352/351/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 63/2025 धारा 115(2)/352//351/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक-19.03.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 82/25 धारा 304 बीएनएस का सफल अनवारण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से छीना हुआ 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.03.2025 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात मोटरसाईकिल सवार 02 अभियुक्तों द्वारा उसका मोबाइल फोन ओप्पो रेनो -12 छीन लिया गया है । इस सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 82/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया है ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 82/25 धारा 304 बीएनएस का सफल अनवारण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से छीना गया 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-रिंकू पुत्र सतपाल निवासी शहीद नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद ।
- 2-राहुल पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- मोबाइल OPPO RENO-12

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 1008मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का0 590 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 19.03.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 97/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मिजाज पुत्र आशु उर्फ आश मौहम्मद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 450 ग्राम गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

